

56/25

तारीख
हुसूम

हुसूम या कार्यवाही अथ इतिशियत जज

अदालत
की तारीख

06/5/2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या

1 के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विप्रार्थी अधिवक्ता लम्बे समय से जवाब पेश नहीं कर रहे हैं, जो जवाब बन्द कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किए जाने के लिए 11 माह का समय लिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में विप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है। तत्पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी के संबन्ध में जारी स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नहीं बढ़े। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढ़ेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम दृष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.2.2025 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो